



2026:AHC:58632

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 1453 / 2026

इस्लाम कादिर

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अजय कुमार श्रीवास्तव, शिवांगी भार्गव

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता सुश्री शिवांगी भार्गव, राज्य के विद्वान ए.जी.ए., श्री डी.पी.एस. चौहान को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 297/2025 अंतर्गत धारा 309 (4) और 317 (2) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन - प्रेम नगर, जिला - बरेली में विचारण के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं था। बाद में, आवेदक को रुपये 21,000/- की बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार किया गया, जबकि एफआईआर में उल्लिखित सोने की चेन सह-अभियुक्त सलमान से बरामद की गई थी। इसलिए, आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है और उसके विरुद्ध कोई भी दोषी ठहराने वाला साक्ष्य न होने के बावजूद उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक ने चार मामलों के आपराधिक इतिहास का विवरण दिया है। आवेदक 07.08.2025 से जेल/कारागार में है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दाखिल की जा चुकी है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की प्रस्तुतियों और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए, साथ ही कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 में प्रतिवेदित के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का पात्र है। तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार की जाती है।

6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक - **इस्लाम कादिर** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :-

- I. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे कि वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सके।
- II. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/विवेचना में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
- III. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



IV. आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से इस आदेश की डाउनलोड की गई प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसकी पुष्टि संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ की जाएगी कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

10. यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

11. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इन री: सुओ मोटू रिट पिटीशन (सीआरएल.) संख्या 4 / 2021 दिनांक 31.01.2023 को निर्णीत (2024) 10 एससीसी 685 में प्रतिवेदित के मामले में कार्यालय को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के द्वारा आवेदक को इस आदेश की एक प्रति भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

मार्च 20, 2026

सीएस/-

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।